फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री पन्नी बाई बनाम विपक्षी : श्री परसराम व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 14/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक 20.02.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 4 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 5 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 5 का जवाब का अवसर बंद किया जाता हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीया की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया एक मात्र खातेदार हैं। उक्त भूमि में विपक्षीगण का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं हैं लेकिन प्रार्थीया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौस में विपक्षीगण की भूमि आ जाने के कारण विपक्षीगण प्रार्थीया के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहें तथा बाड पेड आदि को नुकसान पहुंचाते है तथा प्रार्थीया को जबरन बेदखल करने पर आमादा हैं जिससे अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया खातेदार हैं। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि से विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीया को जबरन बेदखल करने का कथन कहा हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया रेकर्डड खातेदार हैं जिससे विपक्षीगण को पावन्द किया जाना आवश्यक हैं। अन्य बिन्दु को मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुंविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा पाणुन्द पटवार हल्का पाणुन्द तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 116 की आराजी नम्बर 749, 750 किता 2 रकबा 0.1600 है. भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:43:54 IST
Reason: SelfAttested